न्यायालय राजस्व मण्डल, ... ग्वालियर

III/पुनर्विलोकन/सीहोर/भू-रा/2017/2590

(3)

प्रकरण कमांक

1. सुशीलावाई पुत्री स्व0 श्री सीताराम
2. लक्ष्मीवाई पुत्री स्व0 श्री सीताराम
3. धापूवाई पुत्री स्व0 श्री सीताराम
4. सुगनावाई पुत्री स्व0 श्री सीताराम
5. सुमित्रावाई पुत्री स्व0 श्री सीताराम
6. नर्मदाप्रसाद पुत्र स्व0 दुल्लीवाई
7. लीलावाई पुत्री स्व0 दुल्लीवाई
8. ओम पुत्र स्व0 दुल्लीवाई

ग्राम धनकोट तहसील रेहटी

जिला सिहोर म0प्र0 .............पुनर्विलोकनकर्तागण

विरुद्ध

लखनलाल पुत्र स्व0 सीताराम

ग्राम धनकोट तहसील रेहटी

जिला सीहोर म0प्र0 .............रेस्पोडेंन्ट

## म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा– 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन

महोदय,

अपीलार्थी गण द्वारा विद्वान राजस्व मंडल के आदेश दिनांकित 16.06.2017 प्रकरण क0 2232/16 में पारित आदेश का पुनर्विलोकन करने हेतु यह पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन–पुनरावलोकन/सीहोर/भू.रा./2017/2590

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 02/07/18 | आवेदकगण के अभिभाषक श्री सौरभ भेलसेवाले को पुनरावलोकन की प्रचलनशीलता पर सुना गया। यह पुनरावलोकन आवेदन सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 2232–दो/2016 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16–6–2017 पर से प्रस्तुत किया गया है।<br>2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधारों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि आवेदकगण की ओर से पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये गये है उन पर विस्तृत विवेचना करते हुये आदेश दिनांक 16–6–2017 पारित किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हे :–<br>1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकती थी, या,<br>2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती,<br>3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।<br>आवेदकगण के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके हैं कि राजस्व मण्डल व्दारा आदेश दिनांक 16–6–2017 पारित करते समय ऐसी कौनसी प्रत्यक्ष दर्शी भूल की गई है अथवा उनके व्दारा ऐसा कौनसा अभिलेख शोध कर लिया गया है, जो तत्समय आदेश पारित करने के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पुनरावलोकन आवेदन के आधार समाधानकारक न होने से राजस्व मण्डल व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–6–2017 यथावत रखते हुये पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया है।<br>सदस्य | |